न्यायालय उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

मिसल नं० 2/264/2022 तारीख रजू.......................

नेतराम बनाम कलुवा वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.09.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 77, वाके ग्राम मैंथना तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, एवं तलवी नही भरने पर अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 18.10.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 18.10.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
18/10/22 Not press [signature] 18/10/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना पत्र [illegible] [illegible] हुआ। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को नहीं चलाना चाहते हैं उन्होंने अपने प्रा0 पत्र 212 RTA को Not press कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA को वकील प्रार्थी के Not press के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुदा होकर [illegible] की पत्रावली [illegible] वाद के साथ [illegible] हो। हुक्म। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	